

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

Endorsement No. A/950

Jabalpur, dated 16.5.2017.

The copy of Notifications of Government of M.P. F.No.17(E)83/03/21-B(one)/1829/2017, Bhopal, dated 12.5.2017 as per the provisions of Section 153(2) of the Electricity Act, 2003 and F.No.17(E)83/03/21-B(one)/1829/017, Bhopal, dated 12.5.2017 as per the provisions of Section 153(1) of the Electricity Act, 2003 are forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information.
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judges, Alirajpur and Vidisha for information and necessary action with request that the same be served on the concerned officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action.
6. The Registrar (I.T.) in connection with uploading the same on the website.

*Vivek Saxena*  
16.5.17  
(Vivek Saxena)  
O.S.D. (D.E.)

1177



विधि और विधायी कार्य विभाग  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 15 मई, 2017

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1829/2017, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा क्रमांक 17(ई) 83/03, 'इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् -

(संशोधन)

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 एवं 107 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात् :-

सारणी

| स. क्र. | सिविल जिले का नाम | विशेष न्यायालय का नाम                    | विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम                              |
|---------|-------------------|--|--|
| (1)     | (2)               | (3)                                      | (4)  |
| 1.      | अलीराजपुर         | प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर | श्री सुरेशचन्द्र पाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर |
| 107.    | विदिशा            | द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा  | श्री आलोक मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.     |

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(one)/1829/2016.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16<sup>th</sup> September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 24<sup>th</sup> September, 2010, namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table, for serial number- 1 and 107 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

15 MAY 2017  
REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR  
O.S.D.P.E.

//2//

TABLE

| S.No. | Name of Civil District | Name of Special Court                                | Name of the Judge of the Special Court  |
|-------|------------------------|--|---|
| 106.  | Alirajpur              | I <sup>st</sup> Additional Sessions Judge. Alirajpur | Shri Suresh Chandra Pal, I <sup>st</sup> Additional Sessions Judge. Alirajpur |
| 107.  | Vidisha                | II <sup>nd</sup> Additional Sessions Judge. Vidisha  | Shri Alok Mishra, II <sup>nd</sup> Additional Sessions Judge. Vidisha.        |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए. एम. सक्सेना)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/1-ब(एक)/1829/2017.

भोपाल, दिनांक 12 मई, 2017

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. A/782/III-6-4/03-IX, दिनांक 20.04.2017 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, प्राय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के. ग्राम्हा)  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 16 मई, 2017

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1829/017, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)83/03/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

### (संशोधन)

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 एवं 107 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

### सारणी

| अनुक्रमांक | सिविल जिले का नाम | विशेष न्यायालय का नाम                    | विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)  |
|------------|-------------------|--|--|
| (1)        | (2)               | (3)                                      | (4)  |
| 1.         | अलीराजपुर         | प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर | अलीराजपुर का विद्युत क्षेत्र   |
| 107.       | विदिशा            | द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा  | सिविल जिला विदिशा का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 108 एवं 109 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) |

### NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/1829/017, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification, F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16<sup>th</sup> September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24<sup>th</sup> September, 2010 namely :-

## AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 1 and 107 and entries relating there to, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

| S. No. | Name of the Civil District | Name of Special Court                                | Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)   |
|--------|----------------------------|--|---|
| (1)    | (2)                        | (3)  | (4)   |
| 1.     | Alirajpur                  | I <sup>st</sup> Additional Sessions Judge, Alirajpur | Electricity area of Alirajpur.  |
| 107.   | Vidisha                    | II <sup>nd</sup> Additional Sessions Judge, Vidisha  | All electricity area of Civil District Vidisha (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 108 & 109). |

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए. एम. सक्सेना)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1829/2017

भोपाल, दिनांक 12.मई, 2017

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. A/782/III-6-4/03-IX, दिनांक 20.04.2017 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के.सिंग) सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग